

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

शेख हैदर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग, पाली के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में अभिलिखित प्रावधानानुसार निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् प्रस्तुत अभिलेखों(राजस्थान राज-पत्र, समाचार पत्र व शपथ पत्र) के आधार पर अपना परिवर्तित नाम हैदर शेख रखा है।

शेख हैदर, अति0प्रशा0अधि0, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, पाली के राजकीय सेवा अभिलेखों में अंकित नाम शेख हैदर के स्थान पर हैदर शेख करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में शेख हैदर, अति0प्रशा0अधि0 से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम हैदर शेख सम्बोधित/जारी किया जावें।



आज्ञा से
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/नाम संशोधन/2022-23/8 दिनांक-05/05/22
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
2. सिस्टम ऐनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. श्री हैदर शेख अति0प्रशा0अधिकारी।
4. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर